

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

क्रमांक : एफ-53/2/2011/19/यो/ 2959
प्रति,

भोपाल, दिनांक 23.05.2015

- ✓ 1. प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल.
2. समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश.

विषय:- विभाग में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की परफारमेंस गारन्टी अवधि के संबंध में।

राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग में चल रहे सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण कार्यों पर परफारमेंस गारन्टी की अवधि के संबंध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों में जहाँ मार्ग का निर्माण/पुनर्निर्माण सबसेस अथवा बेसकोर्स स्तर से डामरीकृत सतह तक किया गया हो, वहाँ परफारमेंस गारन्टी की अवधि 5 वर्ष रहेगी ।
2. ऐसे कार्य जिनमें डामरीकृत ओवरले की मोटाई 30 एम.एम. से अधिक है, पर परफारमेंस गारन्टी की अवधि 5 वर्ष रहेगी ।
3. डामरीकृत नवीनीकरण के ऐसे कार्य जिनमें नवीन डामर की सतह की मोटाई 30 एम.एम. या उससे कम है, उनमें परफारमेंस गारन्टी की अवधि 2 वर्ष रहेगी ।
4. सेतु निर्माण कार्यों में परफारमेंस गारन्टी की अवधि 5 वर्ष रहेगी ।
5. सभी भवन निर्माण में भी परफारमेंस गारन्टी की अवधि 5 वर्ष की रहेगी ।

कृपया सभी निविदा प्रपत्रों में उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाये ।

उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Prakash
23/5/2015
(चन्द्र प्रकाश अग्रवाल)
सचिव,
लोक निर्माण विभाग

पू 0 क्रमांक : एफ-53/2/2011/19/यो/ 2960

भोपाल, दिनांक 23.05.2015

1. प्रबन्ध संचालक, म.प्र.सड़क विकास निगम, अरेरा हिल्स, भोपाल
2. परियोजना संचालक, पी.आई.यू., लो.नि.वि., निर्माण भवन, भोपाल
3. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रदेश.

Prakash
23/5/2015
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग